

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म), हल्दी

गोविन्द बलभद्र पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर
जिला-छंडम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय फार्म के विभिन्न प्रक्षेत्रों में खरीफ 2023 में लगभग 85.40 हैक्टेयर क्षेत्रफल पर उत्पादित खेडे गन्ने की कटाई, छिलाई, फन्दी बंधाई एवं चट्टा लगाई का कार्य

निविदा- प्रपत्र

निविदा संख्या	:	निविदा शुल्क ₹ 1000.00 प्रति निविदा+18%जी०एस०टी०
निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय	:	दिनांक 10.11.2023 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से
निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	:	दिनांक 21.11.2023 तक अपरान्ह 4.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	:	दिनांक 22.11.2023 को अपरान्ह 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि व समय	:	दिनांक 22.11.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे

विश्वविद्यालय फार्म के विभिन्न प्रक्षेत्रों में खरीफ 2023 में उत्पादित लगभग 85.40 हैक्टेयर क्षेत्रफल में उत्पादित खेडे गन्ने की कटाई, छिलाई, फन्दी बंधाई एवं चट्टा लगाई के कार्य हेतु दरें।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (है० में)	दर प्रति कु० (धनराशि ₹) (अंको एवं शब्दों में)
1	विश्वविद्यालय फार्म के हल्दी एवं बेनी में उत्पादित गन्ने की कटाई, छिलाई, फन्दी बंधाई एवं चट्टा लगाई का कार्य	85.40	₹ प्रति कु०

मैंने निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्तें मान्य हैं। धरोहर धनराशि ₹ बैंक ड्राफ्ट सं० दिनांक के द्वारा जमा कर दिया है जो इस निविदा के साथ संलग्न है।

संलग्नक: उपराक्तानुसार।

बैंक ड्राफ्ट/एफ०डीआर० सं० निविदादाता का पूरा नाम/हस्ताक्षर
 दिनांक पिता/पति का नाम
 धनराशि ₹ ग्राम व पोस्ट
 तह० जनपद
 पिन दूरभाष
 सौबाइल नं०
 पैन संख्या आधार नं०
 बैंक का खाता सं०/शाखा नाम


निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय फार्म के हल्दी एवं बेनी प्रक्षेत्र में उत्पादित गन्ने की कटाई, छिलाई, फन्दी बंधाई
एवं चट्टा लगाई का कार्य

निविदा की शर्तें

1. निविदा के साथ धरोहर राशि गन्ना कटाई, छिलाई, बंधाई एवं चट्टा लगाने हेतु ₹ 30,000.00 (तीस हजार मात्र) निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर० जो गो0ब०पन्त० कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फार्म खाते के नाम देय हो, जमा करना आवश्यक है। बिना पर्याप्त धरोहर धनराशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होंगी।
2. निविदादाता को प्रत्येक प्रक्षेत्र पर उत्पादित गन्ना पेड़ी माह दिसम्बर 2023 तक समाप्त करनी होगी एवं गन्ना पौधा जनवरी 2024 से प्रारम्भ होकर 28 फरवरी 2024 तक समाप्त करना होगा अथवा चीनी मिल के बन्द होने की तिथि से पूर्व ही गन्ने का सम्पूर्ण कार्य कराना आवश्यक होगा।
3. निविदादाता को निविदायें दिनांक 22.11.2023 को अपराह्न 1.00 बजे तक फार्म मुख्यालय हल्दी में रक्षित पेटी में जमा करनी होगी। जो उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदादाता भी उपस्थित रह सकते हैं।
4. विश्वविद्यालय फार्म पर उपलब्ध गन्ना कटाई का कार्य सर्वप्रथम गन्ना पेड़ी के क्षेत्रफल पर करना होगा, जिससे फार्म के गेहूँ की बुवाई शीघ्रता से हो सके तथा उसके उपरान्त गन्ना पौधे की कटाई का कार्य अधिकारियों की स्वीकृति के पश्चात् प्रारम्भ करना होगा।
5. सम्बन्धित ठेकेदार को अपने खर्च पर ₹ 100.00 नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जाना होगा।
6. सम्बन्धित ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के द्वारा विश्वविद्यालय फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति को यदि कोई हानि होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
7. यदि सम्बन्धित ठेकेदार ठेका लेने के उपरान्त कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि को जब्त करने के अतिरिक्त उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु विधिक कार्यवाही की जा सकती है तथा इसके साथ ही काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
8. ठेकेदार के श्रमिकों, पशुओं व मशीनों द्वारा विश्वविद्यालय फार्म की फसलों को क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।
9. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कुलपति महोदय में निहित होगा। किसी तरह के विवाद का अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार एकल पंचाट को होगा, जिसे दोनों पक्षों को मान्य होगा। इसका न्याय क्षेत्र जिला-ऊधम सिंह नगर में निहित होगा।
10. प्रस्तावित कार्य अनुमानित कार्य है, कार्य की मात्रा कम या अधिक हो सकती है।
11. गन्ना कटाई का कार्य पूर्णरूपेण सम्पन्न होने से पूर्व यदि ठेकेदार द्वारा कार्य छोड़ा जाता है तो पूर्ण सुरक्षा धनराशि एवं अवशेष देयक जब्त किये जाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय फार्म को होगा।
12. सम्बन्धित ठेकेदार को अपना बैंक खाता, पेन नं० एवं आधार कार्ड नं० का निविदा में उल्लेख करते हुए छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी तथा उक्त कार्य पर जी०एस०टी० मुक्त होने का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
13. उपरोक्त कार्य पर किसी भी प्रकार का टैक्स/स्टाम्प ड्यूटी आदि राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाता है तो उसके भुगतान की पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
14. सफल निविदादाता द्वारा गन्ने की कटाई, छिलाई, फन्दी बंधाई एवं चट्टा लगाई के उपरान्त अगोले पर भी सफल निविदादाता का अधिकार होगा।
15. विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म पर कार्यरत किसी भी कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके सगे-सम्बन्धी उपरोक्त कार्य हेतु निविदा प्रपत्र खरीदने एवं निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे तथा निविदा निर्गत कराते समय इस आशय का पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके कोई सगे-सम्बन्धी विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म पर कार्यरत नहीं है।


मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म)

निविदादाता के हस्ताक्षर